कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर फोन नं. 0771–2236685 फैक्स नं. 0771–2224476
ceoraipur.cg@nic.in

क्र0–20/स्वीप/ पुनरीक्षण /2017–18/1330 रायपुर, दिनांकः 11 /09/2017

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त (छ0ग0)

विषयः– स्वीप कार्ययोजना के तहत् फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01/01/2018 कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार विषयक।

संदर्भः– आयोग का पत्र क 491/ECI/LET/FUNC/SVEEP-I/SR/2017 दिनॉक 01.09.2017

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आयोग ने संदर्भित पत्र के माध्यम से फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का **विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01/01/2018** कार्यक्रम चलाये जाने के निर्देश दिये हैं। उक्त कार्यक्रम में समस्त पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में व्यापक रूप से जोड़नें एवं डूप्लिकेट मतदाताओं का नाम हटाने का कार्य किया जाना है। आयोग ने इस कार्यक्रम के लक्ष्यित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं प्रचार–प्रसार हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाकर स्वीप कार्यक्रम चलाये जाने के निर्देश दिये है। आयोग का मूल पत्र सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित् किया जा रहा है तथापि पत्र में निहित कुछ प्रमुख निर्देश निम्नानुसार हैः–

(I) सम्पूर्ण उद्देश्यः– (Overall Objectives)

a) मतदाता सूची का EP रेशियो जनगणना के 18+ जनसंख्या के समतुल्य करना।

b) मतदाता सूची में लिंगानुपात जनगणना के लिंगानुपात के समतुल्य करना।

c) मतदाता सूची में सेवा कर्मियों के पंजीकरण को बढ़ाना।

d) मतदाता सूची में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को बढ़ाना।

e) जनगणना से प्राप्त 18+ दिव्यांगों के ऑकड़ों का मतदाता सूची में पंजीकृत दिव्यांगों की संख्या से मिलान करते हूए दिव्यांगो (PwDs: Person with Disabilities) का पंजीयन करना।

f) 18–19 आयु वर्ग समूह के नये पात्र मतदाताओ का सूची में पंजीयन का प्रतिशत 50% से बढ़ाकर लगभग 80% करना।

g) समाज के margianalised (बहिष्कृत एवं उपेक्षित) समूह व समुदाय के लोगों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करना।

(II) कार्ययोजना व क्रियान्वयन (Strategy and Implementation)

A) सुक्ष्म स्तर पर अंतर का निर्धारण एवं लक्ष्यित कार्यक्रम (Gaps at micro-level & interventions)

a) विधान सभा एवं मतदान केन्द्र स्तर पर विश्लेषण कर अंतर के कारणों की समीक्षा करना।

b) विधान सभा एवं मतदान केन्द्र स्तर पर बिंदु I (g) में उल्लेखित पंजीकरण से छूटे हुए ऐसे दलों एवं समूहों की पहचान करना जिनका प्रतिनिधित्व उपरोक्त श्रेणियों में न्यूनतम है।

B) युवाओं का पंजीकरण–(नवीन पात्र मतदाताओं को शामिल करते हुए) (Youth Enrolment Including Newly Eligible)

a) शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त कैंपस एम्बेसडर की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए उन्हे इस अभियान से संबंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराया जावे।

b) शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त प्राध्यापक नोडल अधिकारी की सेवायें इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक ली जावे।

c) गैर–विद्यार्थी वर्ग के युवाओं के पंजीकरण हेतु नेहरू युवा केन्द्र एवं सिविल सोसायटी की मदद ली जावे।

d) स्वीप गतिविधियों के संचालन हेतु जिलावार तैयार किये गये वार्षिक कैलेंण्डर 2017 में माह सितम्बर एवं अक्टूबर के कार्यक्रमों में युवा मतदाता महोत्सव कार्यक्रम को प्रमुखता से शामिल किया जावे।

C) लिंगानुपात में अंतर (Gender Gap)

a) महिलाओं के मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु मिडिया के सहयोग से जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाया जावे।

b) शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओ को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने हेतु विशेष रूप से उत्साहित किया जावे। इस कार्य में कैम्पस अंबेसडर की सेवाए विशेष रूप से ली जावे।

c) शहरों में, कारखानों, लघु औद्योगिक संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं कपड़ा मिलों में कार्यरत महिला मजदूरों एवं गृहणियों के पंजीकरण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जाए।

d) महिला स्व–सहायता समूहों एवं अन्य महिला सहकारी समितियों के सदस्यों का सहयोग महिला मतदाता जागरूकता सदेंशों के प्रचार–प्रसार हेतु किया जावे।

e) महिला बाल विकास विभाग के महिला प्रेक्षकों/मितानिनों की सहायता से नव–विवाहिताएँ (महिलाओं) का नाम उनके विवाहोपरांत नवीन निवास स्थल क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चालाया जावे।

D) दिव्यांग (Persons with Disabilities)

a) दिव्यांग मतदाताओं की विकलांगता के प्रकार को दर्शित करता हुआ एक डाटा बेस बनाया जाकर संबंधित BLO को दिया जावे। दिव्यांग मतदाताओ के सुविधा हेतु BLO अपने रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि को पूर्ण कर रखेंगे।

b) दिव्यांगों के पंजीकरण हेतु बहुप्रचारित विशेष शिविरों का आयोजन किया जावे।

c) दिव्यांगों को प्रेरित करने हेतु कम्यूनिटी रेडियो, तथा FM Radio एवं के सिटी केबल के माध्यम से प्रेरक संदेशों का प्रसारण कराया जाना चाहिये।

d) दिव्यांगों तक पहुॅचने के लिए उन स्वयंसेवी/समाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जावे जो दिव्यांगों के उत्थान कार्यों में संलग्न है।

e) जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर संधारित निर्वाचन का वेबसाईट संचालन के दृष्टिकोण से दिव्यांगों के लिये सुविधाजनक होना चाहिए।

E) समावेशन (Inclusion)

a) निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हाशिये पर निवास कर रहे दलों एवं समूहों की पहचान करना।

b) घुमंतु श्रमिक, सेक्स वर्कर, तृतीय लिंग, बेघर–बार एवं खानाबदोशों जैसे लक्ष्यित समूहों के मध्य प्रचार–प्रसार हेतु शैक्षणिक प्रचार–सामाग्री का निर्माण एवं उसका वितरण करना।

c) उन स्वयंसेवी/समाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जावे जो उपरोक्त लक्ष्यित समूहों के उत्थान कार्यों में संलग्न है।

d) उपरोक्त लक्ष्यित समूहों के पंजीकरण हेतु बहुप्रचारित विशेष शिविरों का आयोजन किया जावे।

e) आदिवासी (Tribal) क्षेत्रों के लोगों के पंजीकरण हेतु मतदाता जागरूकता के विशेष कार्यक्रम उनके निवास के क्षेत्रों में आयोजित किया जावे।

F) सेवा मतदाता (Service Electors)

a) सेना मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने की पात्रता रखने वाले सेना CRPF आदि के लोग सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते है। उक्त आशय के प्रचार–प्रसार हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाये एवं उन्हे इससे संबंधित समस्त सूचनाऍं प्रदान की जायें।

b) मतदाता सूची में पंजीयन की प्रविधि एवं उससे संबंधित अन्य समस्त सूचनाओं के प्रसार हेतु रक्षा विभाग के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। नियुक्त नोडल अधिकारी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावे।

c) सेवा कर्मियों की पत्नियों हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाये।

G) विदेशों में निवासरत भारतीय नागरिक (Overseas Indian Citizens)

a) विदेशों में निवासरत भारतीय नागरिको के पंजीकरण हेतु भारत में निवासरत उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर उनका सहयोग लिया जावे।

b) विदेशों मे निवासरत प्रवासी भारतीय नागरिकों के NVSP Portal में ऑनलाईन पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार किया जावे।

c) BLO उन समस्त परिवारों को प्ररूप–6A उपलब्ध करावे जिनके सदस्य विदेशों में निवासरत है तथा उन्हे NVSP Portal की जानकारी दे।

(III) मल्टीमिडिया अभियान (Multimedia Campaign)

अभियान के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मिडिया के माध्यम से जनजागरण का कार्यक्रम चलाया जाये। सामान्य जन को जानकारी देने हेतु समाचार पत्रों में अभियान से संबंधित प्रमुख सूचनाओं एवं तिथियों का प्रकाशन कराया जावे ताकि डूप्लिकेट एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण किया जा सके। Online आवेदन करने हेतु NVSP Portal का प्रचार–प्रसार किया जावे। ECI द्वारा संधारित Sveep Portal में उपलब्ध जागरूकता संदेशों का उपयोग प्रचार–प्रसार हेतु किया जावे।

उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता नही है। मतदाता के पास आधार कार्ड नही होने कि स्थिति में भी उसे निर्वाचन सेवा उपलब्ध कराया जाना है। उपरोक्त निर्देश से निर्वाचन कार्य से जुडे समस्त कर्मियों को पुनः अवगत कराया जावे।

(IV) साझेदारियों का निर्माण (Developing Partnerships)

पंजीकरण कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निम्न संस्थाओं के साथ साझेदारियॉ स्थापित की जा सकती हैः–

a) राज्य शासन के विभिन्न विभाग।

b) बडे शहरों में स्थित महानगर निगम।

c) ऑल इंडिया रेडियो एवं दुरदर्शन।

d) स्थानीय रेलवे।

e) भारतीय विमानन प्राधिकरण।

f) शैक्षणिक संस्थान।

g) BSNL/MTNL.

h) परिवान विभाग।

i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे इडियन आयल, भारत पेट्रोलियम, बैक।

j) दूरसंचार के निजी मोबाईल सेवा प्रदाता जैसे एयरटेल, वोडाफोन इत्यादि।

k) सिनेमा थियेटर जैसे PVR, INOX इत्यादि एवं शॉपिंग मॉल।

l) निजी टी.वी चैनल, एफ.एम चैनल, समाचार पत्र।

m) कार्पोरेट संस्थाए, दूरसंचार विभाग।

n) विख्यात हस्तियां एवं कलाकार।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01/01/2018 में स्वीप गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक जिला अपनी अलग से कार्ययोजना **निर्धारित पारूप-A** में तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कार्ययोजना की एक प्रति दिनॉक 20/09/2017 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित् करें।

संलग्न– 1.आयोग का संदर्भित पत्र
2.प्रारूप A

(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ0 क–20/स्वीप/ पुनरीक्षण /2017–18/ 1331 **रायपुर, दिनांकः 11 /09/2017**

प्रतिलिपिः–

01 श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली 110001 की ओर सूचनार्थ प्रेषित् है।

02 संभागायुक्त, समस्त छ0ग0 की ओर ओर सूचनार्थ प्रेषित् है।

03 संयुक्त मुनिप/उप मुनिप./उप संचालक वित्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित् है।

04 श्री विनोद अगलावे सिस्टम मैनेजर को पत्र कार्यालयीन वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़ रायपुर

o/c